	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 04, बुधवार, शाके 1943-फरवरी 23, 2022 *Phalguna 04, Wednesday , Saka 1943- February 23, 2022*	

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुटिटयों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

कृषि (ग्रुप-1/इनपुट) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 29, 2021

संख्या प. 12(8)कृषि-1/इनपुट/2021 :- बीज नियंत्रण आदेश 1983 के खण्ड 11 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग द्वारा इस निमित्त पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सामने वर्णित क्षैत्र के लिये उक्त आदेश के प्रयोजन हेतु बीज अनुज्ञापन अधिकारीनियुक्त करती हैः-

क्र.सं.	पदनाम	अधिकारिता क्षैत्र
1	संयुक्त निदेशक कृषि (आदान) राज. जयपुर	राजस्थान राज्य
2	समस्त खण्डीय संयुक्त निदेशक कृषि (वि0/ति0)	सम्पूर्ण खण्ड क्षैत्र में एक से अधिक जिलों में प्रस्तावित कारोबार स्थानों के लिये। खण्डीय संयुक्त निदेशक कृषि कोटा व बीकानेर के अधिकारिता क्षैत्र में सीएडी व इ.गा.न.प. क्षैत्र भी सम्मिलित होगा।
3	समस्त उपनिदेशक कृषि (वि0)जिला परिषद	सम्पूर्ण राजस्व जिला

राज्यपाल की आज्ञा से,
डॉ. एस. पी. सिंह,
संयुक्त शासन सचिव, कृषि।

AGRICULTURE (GROUP-1/INPUT) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, November 29, 2021

No. F. 12 (8) Agriculture-1/Input/2021 .-In exercise of the powers conferred under clause 11 of the Seed Control Order 1983, the State Government, superseding all the earlier notifications issued in this behalf by this Department, appoints the following officers as the Seed Licensing Officers for the purpose of the said order for the area mentioned before them:-

S. No.	Designation	Jurisdiction Area
1.	Joint Director Agriculture (Input)	Rajasthan State

	Rajasthan, Jaipur	
2.	All Divisional Joint Director Agriculture (Ext./Oilseed)	For proposed business places in more than one District in the entire Division. The CAD and IGNP area will also be included in the jurisdiction of Joint Director Agriculture (Ext.) Kota and Bikaner respectively.
3.	All Deputy Director Agriculture (Ext.) Zila Parishad	Entire Revenue District

by order of the Governor,
DR. S.P. SINGH,
JOINT SECRETARY TO GOVT.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।